न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 47/2014

1. नाजू खां पुत्र दिते खां जाति मुसलमान साकिन बीठनोक तह श्री कोलायत जिला बीकानेर
–––––वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य खनिज एवं खनन लि0 गुडा वेस्ट गांव बीठनोक तह0 कोलायत जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

–––––प्रतिवादी

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

उपस्थिति :–

1. श्री राधाकिशन स्वामी वकील वादी
2. राजपैरोकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर

– : निर्णय :–

दिनांक :– 13.06.2024

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम बीठनोक का पीढीयों से निवासी है तथा खेती पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करके अपना जीवन निर्वाह करता है। वादी की स्वयं के मालिकाना हक हकूक की एक खातेदारी भूमि वाके ग्राम बीठनोक के ख0नं0 1157/6 के 40 बीघा भूमि चली आ रही है जिसका वादी एकमात्र खातेदार मालिक व काबिज है जिस पर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की कोई दखलअंदाजी नहीं रही है। वादी के आराजी मुतनाजा पर हजारों रूपये व वर्षों की मेहनत खर्च करके काबिल काश्त बनाया है तथा जिस पर वादी शांतिपूर्वक ढाणी व कुण्ड बनाकर खेती कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करके अपना जीवन निर्वाह करता आ रहा है। प्रतिवादी सं0 एक कंपनी है जिसमें बीठनोक गांव में राज्य सरकार से अनुबंध करके कई किसानों की भूमियों को अपना प्रतिफल देवें। अपना खनन/कोयला निकालना, बिजनी बनाना का कार्य करती आ रही है जो कि अन्य अवाप्तशुदा भूमि की में वादी की खातेदारी भूमि पर अपने राजनीतिक व बाहुबल के आधार पर खान कार्य करना चाहती है जबकि इसकी अनुमति न तो वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को दी है ना ही राज्य सरकार का कोई आदेश उसके पास इस भूमि बाबत है तथा ना ही वादी को उक्त भूमि के बदले कोई मुआवजा दिया गया है। खेत खसरा नंबर 1157/6 मीन की 40 बीघा वाके ग्राम बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर की चिर निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त की भूमि में बेवजह ऐसा कार्य न करके जिससे वादी की कृषि भूमि का स्वरूप ही बदल जाये जो खेती के लायक ना रहे और ना ही ऐसा कार्य करके जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरित असर पडता हो, ना ही उस पर कब्जा करके अपना आधिपत्य स्थापित करें।
2. सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 2 राजपैरोकार फोरमल पार्टी होने के कारण जवाब नहीं दिया गया एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

हैं । जिस पर कभी भी किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई दखलअंदाजी

3. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार वाद पत्र का पैरा सं0 1 वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, पैरा सं0 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। कृषि भूमि पर मालिकाना हक नहीं होता है। ग्राम बीठनोक उपनिवेशन तहसील कोलायत सं0 1 के खसरा नंबर 1157/6 की 40 बीघा भूमि वादी की खातेदारी नहीं है। वाद पत्र के बिन्दु सं0 3,4,5,6 को अस्वीकार किया एवं विशेष कथन से कथन किया कि ग्राम बीठनोक तत्कालीन उपनिवेशन तहसील कोलायत सं0 एक के खसरां नबर 1157/6 रकबा 42.98 हैक्टर आराजीराज होने के कारण अन्य कृषि भूमि के साथ साथ उक्त वर्णित कृषि भूमि को कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेश कमांक एफ5(एफ)29/उपनि/92/1716 दिनांक 19.07.2007 से अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने खनन कार्य हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) व (3) के तहत अनापति प्रदत्त की है। दिनांक 19.07.2007 से ग्राम बीठनोक के खसरां नंबर 1157/6 रकबा 42.98 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं0 एक के कब्जा में है। दिनांक 19.07.2007 को वादगत भूमि वादी की खातेदारी भूमि नहीं थी। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजीराज थी। वादी का उक्त वर्णित खसरा में आवंटन व खातेदारी विधिवत नहीं हैं दिनांक 31.12.2010 को वादगत भूमि पर वादी का कब्जा नहीं था। कथित खातेदारी सनद दिनांक 31.12.2010 ग्राम बीठनोक के खसरां नंबर 1157/6 की नहीं है। खातेदारी सनद जारी होने के पूर्ण प्रकिया की पालना नहीं हुई है। खातेदारी सनद जारी होने के पूर्ण कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट नहीं है। खातेदारी जारी होने की कोई पत्रावली संधारित नहीं हुई है। राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की सुसंगत शर्तों की पूर्ति वादी नहीं करता था इसलिए कथित खातेदारी सनद प्रभावहीन है। प्रतिवादी सं0 एक राजस्थान सरकार का उपकम है एवं राजस्थान राज्य सरकार का आराजीराज भूमि पर राजस्थान सरकार के आदेश के ग्राम बीठनोक के खसरां नबर 1157/6 मीन की समस्त भूमि पर हित निहित हो गए हैं एवं उस पर कब्जा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 खनिजों, खानों, पत्थर की खानों और मत्स्य क्षेत्र पर अधिकार के संबंध में प्रावधान करती है। वादगत भूमि बाबत उक्त धारा की उपधारा 2 व 3 के अंतर्गत ही प्रतिवादी सं0 एक को खनन कार्य हेतु अनुमति प्रदान की है इसलिए वादी का वादगत भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। वादी का आवंटन भी विधिवत नहीं है एवं आरएसएमएमएल द्वारा कार्यालय तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत 1 द्वारा तैयार प्रस्तावित अवाप्ति भूमि का स्थल विवरण पत्र अनुसार ग्राम बीठनोक के ख0नं0 1157/6 में 42.98 बीघा भूमि आराजीराज दर्शाई हुई है जो सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा भी प्रमाणित है।

4. अतः वादी के वाद पत्र का अवलोकन किया एवं वादी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बाद अवलोकन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादग्रस्त भूमि राजस्थान राज्य खनिज एवं खनन लि0 द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि में शामिल थी। अवाप्ताधीन भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है चूंकि वादी को भूमि आवंटन की जो प्रकिया है व खातेदारी की जो प्रकिया है वो आरएसएसएमएल के लिए भूमि अवाप्ति की प्रकिया शुरू होने के बाद की है। एक बार अवाप्ति प्रकिया शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार से आवंटन/स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। अतः अवाप्ताधीन भूमि की आवंटन एवं खातेदारी प्रदान की कार्यवाही स्वतः ही Ab Initio Void है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें।

5. पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः– 13.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत